

135
259
म/निगा/सतना/क्र-य/2018/0967

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ब्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला
रीवा म0प्र0



1. सुदर्शन पिता रमई पटेल
2. जितेन्द्र पटेल
3. रविशंकर पटेल दोनो के पिता सुदर्शन पटेल सभी निवासी ग्राम पगरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 -----आवेदकगण

बनाम

रनिया पिता कलिया पटेल साकिम पगरा तहसील अमरपाटन जिला
सतना म0प्र0 -----अनावेदिका

अधिम श्री शक्तिताब चौकरी,
लाट चेष्टा/23-3-18

निगरानी बिरुद्ध नायब तहसीलदार बृत्त
व्यौहारी कटरा तहसील अमरपाटन जिला
सतना (म0प्र0)

बाबत् राजस्व प्रकरण क्रमांक
-83अ-74/2017-18 आदेश दिनांक
23/12/2017

निगरानी आवेदन पत्र बाबत् धारा 250
म0प्र0भूराजस्व संहिता सन् 1959ई0।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।

135

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/विा०/सतना/भू-प०/18/61967 जिला सतना

सुर्देशन विरुद्ध शनिवा

3

16-119-

1. आवेदक की ओर से श्री आशुतोष चलेवी अधिवक्ता
 द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील अमरपटन के
 प्रकरण क्रमांक 83/37-74/2017-18 में पारित आदेश
 दिनांक 23.12.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-
 राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप
 अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)
 के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय
 को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 19.03.19 को
 कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।


सदस्य

म0प्र0 का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।

